

रेशम उत्पादन वित्तपोषण योजना

उद्देश्य : शहतूत की खेती, रेशम के कीड़ों का पालन और गैर-कृषि गतिविधियों से संबंधित

पात्रता : रेशम उत्पादन गतिविधियों में लगे व्यक्तिगत किसान , स्वयं सहायता समूह, फर्म एवं कंपनियां

ऋण की सीमा : आवश्यकता आधारित

चुकौती : गतिविधि की प्रकृति पर आधारित 4 से 9 वर्ष